भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1609
उत्तर देने की तारीख 13 मार्च 2025

डिजिटल भारत निधि का उपयोग

1609 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि और डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के अंतर्गत कुल कितनी राशि एकत्र की गई है और इसी अवधि के दौरान डीबीएन से कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;
(ख) क्या डीबीएन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में किसी विलंब की सूचना मिली है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और
(ग) डीबीएन निधि संवितरण के संबंध में हितधारकों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) गत पांच वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) के दौरान डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती यूएसओएफ) के अंतर्गत 63,224.09 करोड़ रुपये एकत्र किए गए और डीबीएन से 30,306.50 करोड़ रुपये का उपयोग/वितरण किया गया।

(ख) अल्प सेवित ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डीबीएन परियोजनाएं संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की सहायता से और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में चलाई जाती हैं। कुछ परियोजनाओं में विलंब मुख्यतः लंबित राजस्व भूमि आबंटन, राज्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन क्षेत्र में अनुमति, मार्गाधिकार

मुद्दों, सुरक्षा, एक्सेस संबंधी मुद्दों आदि के कारण हुआ है। नियमित समीक्षा बैठकों, सभी हितकधारकों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और वन विभाग के साथ समन्वय के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है। मार्गाधिकार संबंधी मामलों में मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इसे ऑनलाइन कर दिया गया है।

(ग) डीबीएन निधि संवितरण के संबंध में हितधारकों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए डीबीएन द्वारा ऑनलाइन परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली सृजित की गई है।

****